प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 31.08.2026

साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ित को थाना दुधारा की साइबर सेल टीम ने दिलाई राहत, ₹10,000/- की धनराशि कराई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम तथा साइबर अपराध के पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा की साइबर सेल टीम द्वारा सतत एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक साइबर फ्रॉड पीड़ित की ₹10,000/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आवेदक निहाल अहमद पुत्र श्री सगीर अहमद, निवासी ग्राम बजहरा, थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 01 जून, 2026 को साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

आवेदक के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर स्वयं को आवेदक का परिचित बताते हुए विश्वास में लिया तथा छल-कपट करके आवेदक से कुल ₹25,000/- की धनराशि विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा ली। कुछ समय पश्चात आवेदक को अपने साथ साइबर ठगी होने की जानकारी हुई, जिसके उपरांत उसके द्वारा तत्काल साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायत संख्या 33106260123078 दर्ज कराई गई।

शिकायत प्राप्त होते ही थाना दुधारा की साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त का0 ऋषिकेश यादव व अन्य द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से प्रभावी समन्वय एवं निरंतर पैरवी की गई। पुलिस टीम के त्वरित एवं सराहनीय प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रथम चरण में पीड़ित की ₹10,000/- की धनराशि उसके खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

शेष धनराशि की वापसी के लिए संबंधित बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से निरंतर पत्राचार एवं प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस द्वारा शेष धनराशि की बरामदगी/वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई लगातार जारी है।

पीड़ित द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं थाना दुधारा की साइबर सेल टीम द्वारा की गई त्वरित, प्रभावी एवं सराहनीय कार्रवाई के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर सेल टीमः-

- थानाध्यक्ष श्री अमित कुशवाहा
- उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा (प्रभारी साइबर सेल)
- का0 अनुज कुमार
- का0 ऋषिकेश यादव
- रिक्रूट का0 हर्ष सिंह
- म0 रिक्रूट का0 एकता सिंह

जनहित में अपीलः-

जनमानस से अपील है कि किसी भी अनजान फोन कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी ऑफर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा परिचित बनकर धनराशि की मांग किए जाने पर बिना सत्यापन के कोई भी वित्तीय लेन-देन न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी अथवा साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर धनराशि को सुरक्षित रखने एवं वापस कराने का प्रयास किया जा सके।

संतकबीरनगर पुलिस – आपकी सेवा में सदैव तत्पर

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 309 वाहनों से 04,49,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 31.08.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 309 वाहनों से 04,49,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 31.08.2026 को थाना मेहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 368/2026 धारा 137(2)/87/64(2)(m) बीएनएस व 5l/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सूरज साहनी पुत्र घोलर निवासी ग्राम भौरा थाना मेंहदावल जिला सन्तकबीरनगर को ग्राम सभा भौरा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 27.08.2026 को थाना मेहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, आरक्षी महेश कुमार।

वापसी उ0नि0 व दाखिला एक नफर अभियुक्त मय गिरफ्तारी मेमो सम्बन्धित मु0अ0स0 339/2026 धारा 64(1), 85, 115(2), 351(3), 352 bns व धारा 3/4 डी0पी एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर

मै उ0नि0 शोभनाथ प्रसाद मय हमराह हे0का0 राम विनय यादव के रवाना सुदा रो0आ0 तारिखी इमरोजा से मय गिरफ्तारशुदा एक नफर अभियुक्त रामरूप पुत्र विदेशी निवासी छपिया रूधौली जनपद बस्ती उम्र करीब 40 वर्ष हुलिया दोहरी बदन मजबुत जिस्म गोल चेहरा सावंला रंग आँख नाक कान कद औसत व के जेर निगरानी खुद व जेर हिरासत हमराही कर्मचारी के उपस्थित थाना आया, अभियुक्त का बाद लिवाने मजीद जामा तलाशी रुबरू संतरी प्रहरी के न होने कोई शय बरामद अन्य पहने हुए कपड़ो के जिस्म जरावात ताजा से पाक साफ है, अभियुक्त गमें गिरफ्तारी खाना खाने से मुंकीर है, हस्व ख्वाहिस खुराक दी जायेगी, अभियुक्त उपरोक्त को रिहायसी हेतु कम्बल दिलाकर हवालात मर्दाना मे किया गया जो पहले से खाली व साफ है , ताला हवालात बन्द ठीक सन्तरी प्रहरी को दिखाकर विश्वास कराया गया, चाभी बादस्तूर है। विवरण गिरफ्तारी निम्न प्रकार है- मै उ0नि0 शोभनाथ प्रसाद मय हमराह हे0का0 राम विनय यादव के साथ मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर खास की सूचना पर थाना हाजा से रवाना होकर कड़जा नहर पुलिया के पास पहुचा तो दूर से मुखवीर खास ने कड़जा नहर पुलिया के पास खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि साहब जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं यह वही है इतना बताकर इशारा कर हट बढ़ गया कि हम पुलिस बल खडे व्यक्ति के पास पहुंचकर पकड लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रामरूप पुत्र विदेशी निवासी छपिया रूधौली जनपद बस्ती उम्र करीब 40 वर्ष बताया जिसको मुकदमा उपरोक्त मे वांछित होने के कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के अदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। अभि0 की गिरफ्तारी की सूचना अभि0 की पत्नी लक्ष्मी को जारिये दूरभाष मो0नं0 8604266256 पर दी गई। गिरफ्तारी मेमो मौके पर ही तैयार किया गया। तत्पश्चात मै उ0नि0 मय हमराही कर्मचारी व गिरफ्तार सुदा अभियुक्त के थाना हाजा आया। शेष कुशलता रही। विस्तृत विवरण जरिये सीडी प्रेषित है।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा दहेज प्रताड़ना एवं दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुधारा ***श्री अमित कुशवाहा*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 339/2026 धारा 64(1), 85, 115(2), 351(3), 352 बीएनएस व धारा 3/4 डी0पी एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम पता रामरूप पुत्र विदेशी निवासी छपिया रूधौली जनपद बस्ती को कड़जा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि धारा 173 बीएनएस0 के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर वादिनी को प्रतिवादीगण द्वारा दहेज की नाजायज मांग को लेकर काफी समय से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था तथा उनके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी। उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की बिना मर्जी के उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला सम्बन्धी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना दुधारा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शोभनाथ प्रसाद, हे0का0 राम विनय यादव।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 31.08.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 755/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित बाल अपचारी को मोती तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 14.08.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शम्भूराम, हे0का0 सुशील कुमार, म0का0 सुषमा खरवार।

होटल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की कार्रवाई, शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका में 05 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **तहसीलदार सदर *श्री अनुराग कुमार यादव*** व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जय प्रकाश दुबे* एवं एसओजी प्रभारी मय टीम द्वारा कार्रवाई की गई।

घटना का विवरण-

विगत कई दिनों से ग्राम सेमरा में NH-27 के किनारे स्थित होटल ग्रीन एण्ड रेस्टोरेन्ट में महिलाओं एवं लड़कियों का अनाधिकृत रूप से अधिक संख्या में आवागमन तथा बाहरी युवकों के आने-जाने एवं संदिग्ध/अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त हो रही थी। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा होटल पहुंचकर मौके पर मौजूद व्यक्तियों से उक्त गतिविधियों के संबंध में पूछताछ की गई।
पूछताछ के दौरान होटल मालिक/कर्मियों एवं मौके पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा उग्र होकर आसपास के लोगों से विवाद एवं आमदा-फौजदारी की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। मौके की स्थिति एवं स्थानीय लोगों में व्याप्त आक्रोश को देखते हुए पुलिस के हटने के पश्चात संज्ञेय अपराध कारित कर शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका उत्पन्न हो रही थी।
पुलिस द्वारा सभी व्यक्तियों को समझाने का प्रयास किया गया, परन्तु स्थिति सामान्य न होने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के उद्देश्य से 05 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएस के अन्तर्गत नियमानुसार हिरासत में लिया गया तथा उनके विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. चन्द्रकेतु सिंह पुत्र रामआज्ञा सिंह, निवासी लुचुई, थाना सहजनवां, जनपद गोरखपुर।
2. अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह, निवासी लक्षियाखास, थाना पटहेरवा, जनपद कुशीनगर।
3. अंकुश प्रजापति पुत्र अच्छेलाल, निवासी बकुलही, थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर।
4. आलोक भट्ट पुत्र भूपेन्द्रनाथ भट्ट, निवासी पुण्डा, थाना सहजनवां, जनपद गोरखपुर।
5. हरजीत मौर्या पुत्र सुखराम मौर्या, निवासी शनिचारा पूर्वी, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर।

अन्य कार्रवाई-

उक्त होटल की वैधता एवं संचालन संबंधी अभिलेखों की जांच हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है, ताकि अभिलेखों एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया तथा अभियुक्तों के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई।